ज
4
14.00

नकल आदेश दिनांक 24/3/21 न्या० उपजिलाधिकारी केराकत
जौनपुर वाद संख्या T202014360504484 धारा 80 उ०प्र० [illegible]
सं० 2006 मौजा - अमिहित परगना व तहसील केराकत
जौनपुर बी० जे० वाई० एजुकेशनल संस्थान बनाम [illegible]
रा० के० 24/3/21!

CN· 248
25/3/21

कार्यालय के साथ नकल [illegible] की छाया प्रति संलग्न है

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपज़िलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,ज़नपद :जौनपुर,तहसील :केराकत
वाद संख्या :-04484/2020
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202014360504484
सी॰ जे॰ वाई॰ एजुकेशनल संस्थान बनाम गाँव सभा
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद सी0जें0वाई0 एजुकेशनल संस्थान अमिहित केराकत जौनपुर जरिये प्रबन्धक सविता यादव पत्नी चन्द्रजीत यादव नि0छितौना परगना व तहसील केराकत जौनपुर के प्रार्थना पत्र दिनांक 21.10.2019 पर संस्थित किया गया।

वाद पत्र में ग्रामसभा मौजा– अमिहित परगना व तहसील केराकत जिला जौनपुर के फसली वर्ष 1428–1433 के खाता सं0 00421 के गाटा सं0 837मि/2.875 में से वादी 1.714 हे0 भूमि पर कृषि कार्य नहीं करता है बल्कि उक्त भूमि पर एजुकेशनल संस्थान निर्मित है जो वाणिज्यिक प्रयोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका मूल्यांकन 6500000 रू0 होता है। इस मूल्यांकन का एक प्रतिशत शुल्क 65000रू0 सरकारी खजाने में जमा कर अकृषिक करने योग्य है। रकबे को अकृषिक घोषित करने हेतु 65000 रू0 का ट्रेजरी चालान दिनांक 22.12.2020 को जमा किया। जिसकी रसीद संलग्नक है। साथ ही रू0 65000/– का कोर्ट फीस जमा करके अकृषिक घोषित करने हेतु आवेदन किया है।

वादी के प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में तहसीलदार केराकत से जॉच आख्या चाही गयी तहसीलदार केराकत कि जॉच आख्या दिनांक 27.10.2020 से स्पष्ट होता है कि वादी सी0जे0वाई0 एजुकेशनल संस्थान अमिहित केराकत जौनपुर जरिये प्रबन्धक सविता यादव पत्नी चन्द्रजीत यादव नि0छितौना के स्थित मौजा अमिहित के गाटा स0 837मि/2.875 में से वादी 1.714 हे0 भूमि पर कृषि कार्य नहीं करता है बल्कि उक्त भूमि पर बाउण्ड्री वाल निर्मित है तथा भवन निर्माणाधिन है। जो अकृषिक घोषित किये जाने योग्य है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं0 लेखपाल/रा0नि0 व तहसीलदार केराकत की जॉच आख्या दिनांक 27.10.2020 का अवलोकन व परिशीलन भली– भॉति किया गया। तद्नुसार आदेश निर्गत करने में कोई बैधानिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि आराजी नं0 837मि/2.875 में से 1.714 हे0 स्थित मौजा– अमिहित परगना व तहसील केराकत जिला जौनपुर वादी सी0जे0वाई0 एजुकेशनल संस्थान अमिहित केराकत जौनपुर जरिये प्रबन्धक सविता यादव पत्नी चन्द्रजीत यादव नि0छितौना परगना व तहसील केराकत जौनपुर हेतु अकृषिक घोषित करते हुए भू0रा0 से अवमुक्त किया जाता है। तद्नुसार परवाना जारी हो। वाद आदेश अनुपालन आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

24/3/21

(चन्द्र प्रकाश पाठक)
उपजिलाधिकारी
केराकत, जौनपुर।

[illegible] 248
[illegible] 14.00 25/3/21
[illegible] 25/3/21
[illegible] 25/3/21
[illegible] पृष्ठ संख्या : [illegible]
[illegible] 200

[illegible] प्रतिलिपि
[illegible]
[illegible] 25/03/21